M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

31.03.2020 तक पूरक पोषण आहार के परिवहन एवं म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेश्न के गोदाम से गेहूं के परिवहन कार्य करने हेतु

निविदा प्रपत्र

ऑन लाईन निविदा प्राप्त करने की निर्धारित दिनांक 29.9.2018

महाप्रबंधक

(पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
CIN No.U01119MP19695GC001055

क्रमांक मुख्या/पो.आ./एसआरएलएम/2018/3934 दिनांक 10.09.2018

ई–निविदा (प्रथम आमंत्रण)

निगम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम अंतर्गत विभिन्न सात जिलों (देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद) में स्थापित किए जाने वाले पूरक पोषण आहार संयंत्रों हेतु दिनांक 31.03.2020 तक के लिए निर्धारित प्रपत्र में वैध निविदाकारों से तथा निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तो को पूर्ण करने वाले निविदाकारों से (1) अनाज की साफ–सफाई, पिसाई, सिकाई एवं मिश्रण तक के समस्त कार्यों को प्रतिटन दर पर ठेका पद्धति से करने हेतु (2) ऑगर फिलर/कप फिलर आटोमेटिक मशीनों से पैकिंग मशीनों से पैकिंग के समस्त कार्यों को प्रतिटन दर पर ठेका पद्धति से करने हेतु (3) 2 लाख किलो कैलोरी के (थर्मिक फ्लूड) थर्मोपैक के संचालन एवं दैनिक रख–रखाव का कार्य प्रतिटन कोयला खपत के आधार पर ठेका पद्धति से करने हेतु (4) लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य प्रतिटन के आधार पर ठेका पद्धति से करने हेतु (5) परिवहन कार्य प्रति मी.टन/प्रति किलो मीटर दर पर करने हेतु (6) हाउस कीपिंग आंतरिक (संयंत्र के आंतरिक क्षेत्रफल के आधार) हाउस कीपिंग बाहरी (संयंत्र के बाहरी के क्षेत्रफल के आधार) करने हेतु (7) सुरक्षा व्यवस्था संयंत्र के क्षेत्रफल के आधार पर करने हेतु (8) पेस्ट कंट्रोल कार्य संयंत्र के क्षेत्रफल के आधार पर करने हेतु तथा (9) LABORATORY EQUIPMENTS (10) PALLETS (11) FIRE FIGHTING EQUIPMENTS (12) SEWING MACHINES (13) VARIOUS TOOLS के क्रय हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है । निविदा की विस्तृत शर्तों का विवरण निगम की website - www.mpagro.org तथा www.mpeproc.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र का क्रय online पद्धति से www.mpeproc.gov.in से दिनांक 29-09-2018 तक अपरान्ह् 01.00 बजे तक किया जा सकता है, निविदा प्रपत्र इसी दिन अपरान्ह् 02.00 बजे तक अपलोड किए जा सकेंगे। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन उपरोक्त वेबसाईट पर ही अपलोड किये जाएंगे एवं इसके लिए अलग से समाचार पत्र में कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

महाप्रबंधक
(पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
CIN No.U01119MP19695GC001055

क्रमांक मुख्या/पो.आ./एसआरएलएम/2018/3934 दिनांक 10.09.2018

ई–निविदा (प्रथम आमंत्रण)

निगम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम अतंर्गत विभिन्न सात जिलों (देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद) में स्थापित किए जाने वाले पूरक पोषण आहार संयंत्रों हेतु दिनांक 31.03.2020 तक के लिए निर्धारित प्रपत्र में वैध निविदाकारों से तथा निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तो को पूर्ण करने वाले निविदाकारों से निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है :–

PART I

निविदा क्रमांक	कार्य का विवरण	निविदा प्रपत्र राशि (रू. में) जीएसटी अतिरिक्त	संकल्प धनराशि (रू. में)	
			2500 मी.टन क्षमता के प्रत्येक संयंत्र हेतु	600 मी.टन क्षमता के प्रत्येक संयंत्र हेतु
01	अनाज की साफ–सफाई, पिसाई, सिकाई एवं मिश्रण तक के समस्त कार्यों को प्रतिटन दर पर ठेका पद्धति से करना	5,000	38,000	10,000
02	ऑगर फिलर/कप फिलर आटोमेटिक मशीनों से पैकिंग मशीनों से पैकिंग के समस्त कार्य प्रतिटन दर पर ठेका पद्धति से करना	5,000	47,000	12,000.00
03	2 लाख किलो कैलोरी के (थर्मिक फ्लूड) थर्मोपैक के संचालन एवं दैनिक रख–रखाव का कार्य प्रतिटन कोयला खपत के आधार पर करना	5,000	10,000	8,000.00
04	लोडिंग का कार्य प्रतिटन के आधार पर करना	5,000	30,000	7,000.00
	अनलोडिंग का कार्य प्रतिटन के आधार पर करना			
05	परिवहन कार्य प्रति मी.टन/प्रति किलो मीटर दर पर करना	10,000	4,00,000	1,00,000.00
06	हाउस कीपिंग आंतरिक (संयंत्र के आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्र) हेतु संयंत्र के क्षेत्रफल के आधार पर।	5,000	20,000	8,000.00
	हाउस कीपिंग बाहरी (संयंत्र के आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्र) हेतु संयंत्र के क्षेत्रफल के आधार पर।			
07	सुरक्षा व्यवस्था संयंत्र के क्षेत्रफल के आधार पर	5,000	10,000	10,000
08	पेस्ट कंट्रोल कार्य संयंत्र के क्षेत्रफल के आधार पर	5,000	9,000	4,200

PART II

TENDR NO	PARTICULARS	TENDER DOCUMENTS FEE	EMD	
			2500 MT PLANT (EACH)	600 MT PLANT
09	Laboratory Equipments (IV call)	12500	1,25,000	
10	Pallets	10000	75000	
11	Fire fighting Equipments	5000	50000	
12	Sewing machines	2000	5000	
13	Various types of tools	5000	50000	

उपरोक्त समस्त कार्यों हेतु अलग–अलग निविदा प्रपत्र तैयार किए गए हैं । इच्छुक निविदाकार जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, वही निविदा प्रपत्र डाउनलोड करें । निविदा प्रपत्र का कय online पद्धति से www.mpeproc.gov.in से दिनांक 12.09.2018 को अपरान्ह 2.00 से 29.09.2018 को अपरान्ह् 1.00 बजे तक किया जा सकता है, जो इसी दिन अपरान्ह् 2.00 बजे तक अपलोड किए जा सकेंगे। डाउनलोडेड निविदा प्रपत्र इसी दिन अपरान्ह् 3.00 बजे उपस्थित निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि (एक निविदाकार की तरफ से केवल एक) खोले जाएंगे। निविदा की विस्तृत शर्तों का विवरण निगम की website - www.mpagro.org तथा www.mpeproc.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है। यदि निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो वह उपरोक्त वेबसाईट पर ही अपलोड किया जाएगा एवं इसके लिए अलग से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

महाप्रबंधक
(पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम अंतर्गत स्व–सहायता समूह के संगठनों द्वारा विभिन्न सात जिलों (देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद) में स्थापित किए जाने वाले पूरक पोषण आहार संयंत्रों से पूरक पोषण आहार का परिवहन का कार्य करने एवं म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के गोदाम से पोषण आहार संयंत्रों तक गेहूं के परिवहन कार्य करने हेतु (उक्त कार्य को आगे चलकर परिवहन कार्य कहा गया है) निविदा प्रस्तुत करने की समय एवं तिथियों का विवरण

आन लाईन निविदा पत्र का मूल्य GST सहित	राशि रू 11,800.00 डिमांड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न कर हार्ड कापी के साथ प्रस्तुत किया जाना है।
आन लाईन निविदा पत्र का क्रय	www.mpeproc.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 12.09.2018 को अपरान्ह 2.00 बजे से 29.9.2018 अपरान्ह 1.00 बजे तक
संकल्प धन राशि (EMD)	2500 मी.टन क्षमता के प्रत्येक संयंत्र हेतु रू 4,00,000/– (रू चार लाख मात्र) 600 मी.टन क्षमता के संयंत्र हेतु रू रू 1,00,000/– (रू एक लाख मात्र)
आन लाईन निविदा प्राप्त करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 12.09.2018 अपरान्ह 2.00 बजे से 29.9.2018 अपरान्ह 2.00 बजे तक
प्री बिड मीटिंग	दिनांक 20.09.2018 अपरान्ह 3.00 बजे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, तृतीय तल,बीज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल में होगी ।
निविदा पत्र (हार्डकापी में)टेण्डर बॉक्स में प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 29.9.2018 अपरान्ह 2.00 बजे तक
आनलाईन तकनीकी निविदा तथा हार्ड कापी खोलने की तिथि	दि0 29.09.2018 अपरान्ह 3.00 बजे

योग्य पाये गये आफरकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय की जानकारी निगम के सूचना पटल एवं बेब साईट पर दी जावेगी एवं योग्य प्रदायकों को ई–मेल पर सूचित किया जावेगा।

नोट– उपरोक्त दर्शित समय एवं तिथियों में परिवर्तन होने की दशा में इस आशय की सूचना का प्रकाशन निगम की बेबसाईट www.mpagro.org तथा www.mpeproc.gov.in पर किया जावेगा। निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निविदा के संदर्भ में बेवसाईट समय समय पर देख कर प्रकाशित होने वाले संशोधन/ सूचनाओं के प्रति अवगत हों।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम अंतर्गत स्व–सहायता समूह के संगठनों द्वारा विभिन्न सात जिलों (देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद) में स्थापित किए जाने वाले पूरक पोषण आहार संयंत्रों से पूरक पोषण आहार का परिवहन का कार्य करने एवं म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के गोदाम से पोषण आहार संयंत्रों तक गेहूं के परिवहन कार्य करने दिनांक 31.03.2020 तक करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तो को पूर्ण करने वाले निविदाकारों से निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है ।

निविदा प्रपत्र विवरण

निविदा पत्र में कुल 25 पृष्ठ निम्नानुसार हैः–

क्रं	विवरण	अनुसूची	पृष्ठ संख्या
1	आवेदन पत्र	अनुसूची –1	8–9
2	सामान्य शर्ते	अनुसूची –2	10–20
3	घोषणा पत्र	अनुसूची –3	21
4	निविदाकार के पास उपलब्ध ट्रकों की जानकारी	अनुसूची –4	22
5	वित्तीय प्रस्ताव पत्र का प्रारूप (Annexure 5)	अनुसूची –5	23
6	संयंत्र के लिए निर्धारित जिले	अनुसूची –6	24
7	अनुबंध का प्रारूप	अनुसूची –7	25

निविदा पत्र में उद्धृत/उल्लेखित विभिन्न शब्दों का भावार्थ–

•	निगम	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
•	संयंत्र	मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम अंतर्गत स्व–सहायता समूह के संगठनों द्वारा देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद में स्थापित किए जाने वाले पूरक पोषण आहार संयंत्र
•	निविदाकर्ता	निविदाकर्ता जिनके द्वारा उक्तानुसार कार्य किये जाने हेतु निर्धारित दस्तावेज में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
•	परिवहन कर्ता	निविदाकर्ता जिनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य कर परिवहन कार्य करने हेतु अनुबंधित किया गया हो।
•	संकल्प धनराशि (ई.एम.डी.)	निविदा पत्र की अनुसूची –2 शर्त क्रं. 6.1 के अनुसार
•	धरोहर राशि (सिक्युरिटी डिपाजिट)	निविदा पत्र की अनुसूची –2 शर्त क्रं 12 के अनुसार
•	परियोजना के गोदाम	महिला एवं बाल विकास विभाग के ब्लाक स्तर में स्थित परियोजना कार्यालयों द्वारा नियत गोदाम जंहा पोषण आहार का भण्डारण किया जाना है।
•	प्रबंध संचालक	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के प्रबंध संचालक
•	महा प्रबंधक (पोषण आहार)	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के महा प्रबंधक (पोषण आहार)

●	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल
●	संयंत्र प्रभारी	म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थापित पोषण आहार संयंत्रों के प्रभारी
●	परियोजना अधिकारी	महिला एवं बाल विकास विभाग के ब्लाक स्तर में स्थित परियोजना कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी
●	विभाग	म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
●	FSSAI	भारतीय खाद्‍य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safty and Standat Authority of India)
●	नागरिक आपूर्ती निगम (नान)	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेश्न लि

पोषण आहार संयंत्र में पूरक पोषण आहार के परिवहन का कार्य करने हेतु आवेदन प्रपत्र

प्रति,

प्रबंध संचालक,
एम.पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड
तृतीय तल पंचानन भवन,
मालवीय नगर
भोपाल ।

विषय–परिवहन का कार्य करने हेतु निविदा हेतु आवेदन पत्र

महोदय,

हमारे द्वारा म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थापित पोषण आहार संयंत्रों में परिवहन का कार्य करने हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है। हमारी फर्म का विवरण निम्नानुसार है –

क्रं0	विवरण	प्रस्तुत विवरण
1	निजी कंपनी, निजी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/अन्य	....
2	फर्म के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता	....
3	निविदा प्रस्तुत करने/हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम	....
4	दूरभाष क्रमांक मोबाईल क्रं0 Email	....
5	पेन नंबर	....
6	GST नंबर	....
7	निविदा पत्र का मूल्य GST सहित राशि रू 11,800/–	DD No .... Date .... For Rs......................... Issuing Bank and Branch............
8	संकल्प धन राशि (EMD) Rs 4,00,000 for each plant of 2500 MT capacity and Rs. 1,00,000 for Hoshangabad plant. (For example if tender is submitted for 3 plants of 2500 mt capacity and for Hoshanagabad you need to submit EMD of Rs 13,00,000(400000x3+100000)	DD No .... Date .... For Rs......................... Issuing Bank and Branch............
9	FSSAI द्वारा खाद्य सामग्री परिवहन करने हेतु जारी वैध लाइसेंस क्रमांक एवं वैधता दिनांक	....
10	फर्म में नियोजित (स्वयं/अनुबंधित) ट्रकों का विवरण (अलग से प्रस्तुत करें व जानकारी स्वयं सत्यापित करें) ।	अनूसूची क्रं 5 में जानकारी प्रस्तुत करें।
11	निविदा प्रपत्र के पृष्ठ क्रमांक 1 से 25 तक के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सील सहित की फोटो प्रति अपलोड करे। वित्तीय निविदा (पृष्ठ क्रमांक 23) की फोटो प्रति अपलोड नही की जाना है।	

स्थान जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही है।

कं	स्थान	EMD
1	**2**	**3**
1	देवास	
2	घार	
3	मण्डला	
4	शिवपुरी	
5	रीवा	
6	सागर	
7	होशंगाबाद	
	कुल जमा ई.एम.डी.	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम ....

नोट :–

- उपरोक्त सभी अपलोड किये गए दस्तावेजों की हार्ड कापी (ड्राफ्ट की मूल प्रति सहित) एक लिफाफे में रखे जाकर दिनांक 27.9.2018 .समय अपरान्ह 2 बजे तक दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि. पंचानन भवन, मेजेनाईन फ्लोर, मालवीय नगर, भोपाल के कार्यालय के उपलब्ध टेन्डर बाक्स में डाले जाना है।
- वित्तीय निविदा अपलोड ही की जाना है। हार्ड कापी नही दी जाना है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम....................................

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

परिवहन का कार्य करने हेतु निविदा हेतु निविदा प्रपत्र

(A) कार्य का स्वरूप

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम अतंर्गत स्व–सहायता समूह के संगठनों द्वारा प्रदेश में देवास, धार, मण्डला, रीवा, सागर, शिवपुरी में 2500 मी.टन क्षमता एवं होशंगाबाद में 600 मी.टन क्षमता के पोषण आहार संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं । इन संयंत्रों में विभिन्न कार्यो के लिए दरें निर्धारण हेतु एम.पी.स्टेट एग्रो इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.(निगम) को अधिकृत किया गया है, अतः निगम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम हेतु ई–निविदा पद्धति में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। सयंत्रों में उत्पादित पूरक पोषण आहार महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न परियोजनाओं तक एंव म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन रायसेन के विभिन्न गोदामों से गेंहू एवं चावल का मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम के विभिन्न सात स्थानों पर स्थित पोषण आहार सयंत्र में परिवहन किया जाना है।

पोषण आहार संयंत्र (संयंत्र) में उत्पादित पूरक पोषण आहार का 25 किलो, 24 किलो एंव 18 किलो के बैग (बैग के वजन में परिवर्तन हो सकता है) में महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न परियोजनाओं तक एवं म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के विभिन्न गोदामों से 50 किलो के बैग में गेंहू एवं चावल (बैग के वजन में परिवर्तन हो सकता है) का निगम के पोषण आहार सयंत्र में परिवहन किया जाना है। महिला एवं बाल विकास विभाग को परिवहन की जाने वाली मासिक मात्रा 1800 से 2500 मी.टन (2500 मी.टन क्षमता वाले संयंत्र से) तथा 450 से 600 मी.टन (600 मी.टन क्षमता वाले संयंत्र से) एवं म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के विभिन्न गोदामों से गेंहू एवं चावल का परिवहन 800 से 1150 मी.टन (2500 मी.टन क्षमता वाले संयंत्र हेतु) एवं 200 से 300 मी.टन (600 मी.टन क्षमता वाले संयंत्र हेतु) की जाना अनुमानित है, जिसमें कमी/वृद्धि हो सकती है। 2500 मी टन क्षमता वाले संयंत्रों से सामान्यतः 70 से 100 मी.टन पूरक पोषण आहार का परिवहन प्रतिदिन किया जाना है एवं 600 मी टन क्षमता के संयत्र से 20 से 25 मी.टन पूरक पोषण आहार का परिवहन प्रतिदिन किया जाना है । परिवहनकर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य/दायित्वों का विस्तृत विवरण अनुसूची –2 की शर्त कं. 7 में उल्लेखित है।

परिवहन का कार्य प्रति मी.टन के आधार पर नियत स्लेब के आधार पर करवाये जाने हेतु निर्धारित शर्तो पर दर प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं ।

सामान्य शर्ते

1 अर्हता –

1.1 निविदाकर्ता निजी कंपनी, निजि/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/अन्य जो FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) द्वारा खाद्य सामग्री के परिवहन हेतु जारी वैध लायसेंस धारक हों ।

1.2 निविदाकर्ता के पास आयकर विभाग द्वारा जारी PAN तथा GST No होना आवश्यक है।

1.3 निविदाकर्ता के पोषण आहार/ खाद्य सामग्री के परिवहन का कम से कम गत तीन वर्षों का निरंतर कार्य का अनुभव होना आवश्यक है (संबंधित संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें) ।

1.4 2500 मी.टन क्षमता के एक संयंत्र में परिवहन निविदा प्रस्तुत करने के लिए निविदाकर्ता का विगत तीन वर्षों में कम से कम राशि रू 4.00 करोड एवं प्रतिवर्ष 1.35 करोड़ का औसत टर्न ओवर होना आवश्यक है। इसी प्रकार 600 मी.टन क्षमता के एक संयंत्र में परिवहन निविदा प्रस्तुत करने के लिए विगत तीन वर्षों में कम से कम राशि रू 0.96 करोड एवं प्रतिवर्ष 0.32 करोड़ का औसत टर्न ओवर होना आवश्यक है। 2500 मी.टन क्षमता के एक से अधिक संयंत्रों में परिवहन निविदा प्रस्तुत करने के लिए निविदाकर्ता का विगत तीन वर्षों में कम से कम राशि रू 8.00 करोड एवं प्रतिवर्ष 2.70 करोड़ का औसत टर्न ओवर होना आवश्यक है। सी ए द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

1.5 निविदाकर्ता के पास स्वयं के/अनुबंधित न्यूनतम 16 टन क्षमता के 6 ट्रक एवं 21 टन क्षमता के 3 ट्रक होना आवश्यक है। विवरण अनूसूची 4 मे दर्शाया जाये एवं ट्रकों के पंजीयन पत्र तथा अनुबंधित होने की दशा में अनुबंध पत्र की स्वप्रामाणित प्रति प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।

2 **<u>(अ) आनलाईन निविदा पत्र</u> की प्राप्ती–**

2.1 निविदा पत्र निगम की बेब साईट www.mpagro.gov.in पर अवलोकन हेतु दिनांक 12.09.2018 अपरान्ह् 2.00 बजे से उपलब्ध रहेगा। निविदाकार जिनके पास वैध Class III Degital Signature है, वे निविदा पत्र का क्रय www.mpeproc.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 12.09.2018 अपरान्ह 2.00 बजे से 29.9.2018 अपरान्ह् 1.00 बजे तक किया जा सकता है।

2.2 निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं को निर्धारित निविदा दस्तावेज आन लाईन आवश्यक प्रोसेसिंग फीस जमा कर क्रय किया जाना अनिवार्य है। दस्तावेज के मूल्य राशि रू 10000+GST = 11800 का डिमांड ड्राफ्ट **<u>दी एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड</u>**'' के नाम से भोपाल देय हो निविदा के साथ हार्डकापी में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2.3 एक निविदाकर्ता से एक ही निविदा स्वीकार की जावेगी । निविदाकर्ता द्वारा निगम में एक से अधिक फर्म या अन्य नामों से भाग लिये जाने की जानकारी निगम को प्राप्त होने की दशा में आवेदक द्वारा इस तरह प्रस्तुत सभी निविदा अमान्य की जावेंगी एवं संबंधित निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि जप्त की जावेगी ।

2.4 निविदा प्रस्तुत करने का आशय है कि निविदाकर्ता ने निगम द्वारा जारी निविदा पत्र को भलीभांति पढ़ लिया है तथा वे कार्य के स्वरूप/आवश्यकताओं से भलीभांति अवगत है तथा निगम की निर्धारित शर्तों पर कार्य करने हेतु सहमत है। सशर्त आफर किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगें।

2.(ब) **प्री बिड मीटिंग**– निविदा के संबंध में दिनांक 20.09.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, तृतीय तल, बीज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल में होगी के कक्ष में आयोजित होगी । संभावित निविदाकार निविदा के संबंध में अपनी आपत्तियां / सुझाव दिनांक 20.09.2018 को अपराहन

02.00 बजे से पूर्व प्रस्तुत कर सकते है। आपत्तियों/सुझावों का निराकरण/ समाधान कर तदानुसार आवश्यक संशोधन निविदा में किये जा सकेंगें जो निविदा पत्र का हिस्सा कहलाऐंगें। प्राप्त सभी सुझावों/ आपत्तियों के संदर्भ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन /प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा। प्री बिड़ मीटिंग के उपरांत निविदा की शर्तों कें संबंध में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जावेगीं, अतः यह आवश्यक है कि संभावित निविदाकार निविदापत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ कर शर्तों एवं कार्य के स्वरूप से भलीं भांती परिचित हो कर आश्वस्त हो लें जिससे बाद में विवाद / संदेह की स्थिती न रहे।

3 <u>संकल्प धन राशि</u> (EMD) –

3.1 निविदा के साथ संकल्प धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट जो ''**<u>दी एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड</u>**'' के नाम से भोपाल देय हो, निम्नानुसार संलग्न करना अनिवार्य है । बिना संकल्प धनराशि के कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी ।

क्रं0	संयंत्र की संख्या	EMD
1	2500 मी.टन क्षमता का एक	04.00 लाख
2	2500 मी.टन क्षमता का दो	08.00 लाख
3	2500 मी.टन क्षमता का तीन	12.00 लाख
4	2500 मी.टन क्षमता का चार	16.00 लाख
5	2500 मी.टन क्षमता का पांच	20.00 लाख
6	2500 मी.टन क्षमता का छः	24.00 लाख
7	600 मी.टन क्षमता का एक	01.00 लाख

गणना हेतु अनुसूची क्रमांक–1 का क्रमांक–9 देखें ।

3.2 <u>संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है</u> :–

1. निगम द्वारा निविदाकर्ता की निविदा को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपनी निविदा वापस लिये जाने की दशा में।
2. निविदा के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
3. निविदाकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे।
4. निविदाकर्ता द्वारा निविदा मान्य होने पर निर्धारित समय सीमा में अनुबंध नहीं किये जाने की दशा में ।
5. निविदा पत्र की शर्त क्रं 2.3 में वर्णित दशा में।

अयोग्य पाये गये निविदाकर्ताओं की **<u>संकल्प धनराशि</u>** बिना ब्याज के वापस की जावेगी।

4 <u>निविदा प्रस्तुत किया जाना</u> –

4.1 आन लाईन निविदा दिनांक 29.9.2018 अपरान्ह 2.00 बजे तक बेब www.mpeproc.gov.in पर अपलोड किए जा सकेंगे।

4.2 निविदाकर्ता के लिये यह अनिवार्य है की वे निर्धारित समय सीमा में निविदा एवं आवश्यक दस्तावेज तथा वित्तीय आफर www.mpeproc.gov.in पर अपलोड कर लेवें। mpeproc की बेबसाईट में तकनीकी खराबी/ सर्वर की समस्या या अन्य

किसी तकनीकी कारणों से समय पर निविदा अपलोड नहीं होने की दशा में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा अतः निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय का इंतजार न करते हुये इसके पूर्व निविदा अपलोड करें जिससे समस्या यदि कोई हो तो, का समय पर निराकरण किया जा सके।

4.3 निम्नानुसार दस्तावेज बेवसाईट www.mpeproc.gov.in पर अपलोड किये जाना आवश्यक है–

1. निविदाकर्ता के पक्ष में FSSAI द्वारा जारी वैध लायसेंस की स्वप्रमाणित प्रति ।
2. PAN तथा GST No. की स्वप्रमाणित प्रति।
3. शर्त क्रं 3.1 के अनुसार संकल्प का डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन की गई प्रति
4. शर्त क्रं 1.3 के अनुसार अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र।
5. शर्त क्रं 1.4 के अनुसार टर्न ओवर संबंधी सी ए द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
6. अनुसूची 1 के अनुसार निविदाकर्ता का विवरण/आवेदन पत्र
7. अनुसूची क्रमांक–3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर सहमति की स्कैन की गई प्रति ।
8. निविदाकर्ता फर्म की और से निविदा/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की स्कैन की गई प्रति (प्रोपराईटर होने की दशा में आवश्यक नहीं)।
9. अनुसूची 4 के अनुसार ट्रकों का विवरण एवं पंजीयन पत्र तथा अनुबंधित होने की दशा में अनुबंध की स्वप्रमाणित प्रति।
10. अनुसूची क्रं 5 में वित्तीय आफर

उपरोक्त क्रं 1 से 9 तक के दस्तावेज (वित्तीय आफर अनुसूची क्रं 5 छोड़कर–वित्तीय ऑफर को अलग से अपलोड किया जाना है । योग्य पाए गए निविदाकारों के ही वित्तीय ऑफर खोले जाएंगे) विधिवत स्केन करते हुये JPG यर PDF format में, न्यूनतम 100 DPI में अपलोड किया जाना आवश्यक है। निविदाकार द्वारा सुनिश्चित कर लिया जावे कि स्केन किये गये दस्तावेज पठनीय हों ।

4.4 निविदा पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कापी (वित्तीय आफर अनुसूची क्रं 5 छोड़कर) दिनांक 29.9.2018 को अपरान्ह 2.00 बजे तक निगम के भोपाल स्थित मुख्यालय में रखे टेंडर बॉक्स में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् विलंब से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जावेगा चाहे ऐसी निविदाएं डाक द्वारा विलंब से प्राप्त हुई हों। प्रस्तुत किये जाने वाले लिफाफे में "परिवहन कार्य हेतु निविदा –तकनीकी विवरण" लिखते हुये आवेदक का नाम एवं पता लिखते हुये प्रस्तुत किया जाना है । **लिफाफा में प्रस्तुत किये जाने वाले वाले दस्तावेजों का विवरण** –

1. शर्त क्रं 2.2 के अनुसार निविदापत्र के मूल्य की राशि रूपये 11800/– का डिमांड ड्राफ्ट जो **दी एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड**" के नाम से भोपाल देय हो।
2. शर्त क्रं 3.1 के अनुसार संकल्प राशि का डिमांड ड्राफ्ट **दी एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड**" के नाम से भोपाल देय हो।
3. अनुसूची क्रमांक–3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र ।

4. निविदाकर्ता के पक्ष में FSSAI द्वारा जारी वैध लायसेंस की स्वप्रमाणित प्रति ।
5. PAN तथा GST No. की स्वप्रमाणित प्रति।
6. निविदाकर्ता फर्म की और से निविदा/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की मूलप्रति (प्रोपराईटर होने की दशा में आवश्यक नहीं)।
7. निविदा दस्तावेज सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर सहित (पृष्ठ कं. 1 से 25 तक) ।
8. शर्त कं 1.3 के अनुसार अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र।
9. शर्त कं 1.4 के अनुसार टर्न ओवार संबंधी सी ए द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
10. अनुसूची 1 के अनुसार निविदाकर्ता का विवरण/आवेदन पत्र
11. अनुसूची 4 के अनुसार ट्रकों का विवरण एवं पंजीयन पत्र तथा अनुबंधित होने की दशा में अनुबंध की स्वप्रमाणित प्रति।

अनुसूची–7 **अनुबंध प्रारूप** पर केवल हस्ताक्षर करने हैं, सफल निविदाकार को इसी प्रारूप में रूपये 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध प्रस्तुत करना है ।

लिफाफा के ऊपर स्पष्ट शब्दो में ''**पोषण आहार के परिवहन कार्य हेतु निविदा तकनीकी विवरण** '' लिखा जावे ।

5 निविदा खोला जाना–

5.1 आन लाईन प्राप्त निविदा का तकनीकी ऑफर तथा टेंडर बॉक्स में प्राप्त लिफाफा दिनांक 29.9.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे निगम मुख्यालय के कम्प्यूटर कक्ष में अधिकृत समिति द्वारा उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधि (एक निविदाकार से केवल एक) के समक्ष खोले जावेंगे ।

5.2 ऑनलाईन/लिफाफा में हार्ड कॉपी में प्रस्तुत दस्तावेज पर अधिकृत समिति की अनुशंसाओं के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

5.3 सभी दस्तावेज ऑन लाईन प्रस्तुत किये जाना हैं तथा शर्त कं 4.4 के अनुसार हार्ड कॉपी भी प्रस्तुत की जाना है। आनलाईन प्रस्तुत दस्तावेज में कोई कमी होने अथवा अपठनीय होने की स्थिति में हार्ड कॉपी में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

5.4 तकनीकी आधार पर योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेंगे । वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं समय की जानकारी निगम की बेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी व योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं को ई–मेल द्वारा दी जा सकेगी ।

6 दर प्रस्तुत करना –

6.1 परिवहन के कार्य हेतु प्रति मी. टन के आधार पर नियत स्लेब में प्रति किलो मीटर प्रतिटन के आधार पर दरें दी जाना हैं। दरों में GST शामिल नहीं होगा, इसे अलग से दर्शाया जाये।

6.2 दर अनुसूची कमांक 5 में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। प्रस्तुत की गई दरों में सभी व्यय (टोल, लोडिंग/ अनलोडिंग, तुलाई) एवं वर्तमान में लागू सभी कर सम्मिलित रहेगें। भविष्य में भारत /राज्य शासन अथवा स्थानीय निकायों द्वारा

माल परिवहन संबंधी करों में परिवर्तन होने की दशा में दरों को पुनरीक्षित किया जा सकेगा। विभिन्न करों की दरों में परिवर्तन होने पर पर किसी प्रकार की अंतर की राशि की वसूली/भुगतान की राशि का निर्धारण करने के संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम हो कर निविदाकार के लिये मान्य होगा।

6.3 प्रस्तुत की गई दरें निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक से 90 दिवस के लिये प्रभावशील रहेंगी अर्थात इस अवधि में निगम द्वारा प्रस्तुत दर स्वीकार की जा सकेगी । यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा दरें प्रस्तुत करने के पश्चात उक्त अवधि में अपनी दरें वापस ली जाती हैं या कार्य से मना किया जाता है तो निविदा के साथ प्रस्तुत संकल्प धन राशि को जप्त कर लिया जाएगा ।

6.4 दरें अंकों एवं शब्दों में लिखा जाना आवश्यक है। प्रस्तुत दर प्रस्ताव में अंकों एवं शब्दों में अंतर होने की दशा में न्यूनतम दर को मान्य किया जायेगा ।

6.5 प्राप्त दरों पर किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जाएगी अतः निविदाकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे कार्य हेतु अपनी न्यूनतम दर देवें। निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे समिति द्वारा अनुसंशित दर का प्रति प्रस्ताव न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले दर निविदाकार को दें अथवा सभी वैध निविदाकर्ताओं को e-bid प्रोसेस में पुनः निर्धारित दिनांक एवं समय तक दर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें (यह प्रकिया SNAP BIDDING कहलाई जाएगी)

7 <u>निविदाकर्ता का चयन तथा अनुबंध</u> –

7.1 तकनीकी आधार पर योग्य पाए गए निविदाकर्ताओं के ऑन लाईन प्राप्त वित्तीय ऑफर खोले जाएंगे ।

7.2 निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राप्त दरों के तुलनात्मक अध्ययन कर दरों के निर्धारण हेतु अनुसंशाएं प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की जाएंगी । प्रबंध संचालक द्वारा कडिंका क्र0 6.5 के आधार पर नियमानुसार निर्णय लेते हुये कार्य हेतु दरों का निर्धारण किया जावेगा।

7.3 उक्तानुसार कडिंका 7.2 के आधार पर निर्धारित दर प्राप्त न्यूनतम दर से कम होने की दशा में प्रथम न्यूनतम दर देने वाले निविदाकर्ता को सूचित कर उनकी सहमति होने पर निगम द्वारा इस आशय की सूचना निविदाकर्ता को देते हुये 15 दिवस में निगम के साथ अनुसूची–7 अनुसार राशि रू 1000/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पर स्वयं के व्यय पर अनुबंध हेतु सूचित किया जावेगा।

7.4 निर्धारित समय सीमा में अनुबंध निष्पादित नहीं किये जाने की दशा में यह मान्य करते हुये कि निविदाकर्ता कार्य करने का इच्छुक नहीं है, उसकी निविदा को निरस्त कर संकल्प धनराशि जप्त कर ली जाएगी एवं/अथवा एक निश्चित समय सीमा के लिए निगम/संयंत्र हेतु कार्य करने से वंचित कर दिया जाएगा ।

7.5 उक्तानुसार कडिंका क्रं 7.4 की दशा में निगम के प्रबंध संचालक निर्धारित दर/प्रथम न्यूनतम दर का प्रति प्रस्ताव द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले योग्य निविदाकर्ता को देते हुये अनुबंध कर कार्य का आवंटन कर सकेंगें। द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले योग्य निविदाकर्ता द्वारा सहमत न होने की दशा में प्राप्त निविदाओं को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी।

7.6 चूंकि समस्त परिवहन कार्य एक निश्चित समय सीमा में निष्पादित करना आवश्यक है, अतः निगम प्राप्त न्यूनतम दर पर द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले योग्य निविदाकर्ता से उनकी सहमति के आधार पर अनुबंध निष्पादित कर

सकेगा तथा प्रथम न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार द्वारा 2 दिवस में कार्य न करने पर ऐसे अनुबंधित निविदाकर्ता से कार्य करवा सकेगा अथवा शर्त क्रं 10.3 अनुसार कार्यवाही कर सकेगा।

8 <u>अनुबंध</u> –

1. अनुबंध के पश्चात अनुबंधित निविदाकर्ता परिवहनकर्ता कहलाऐंगे।
2. निविदाकार की दरें स्वीकृत होने की स्थिति में **अनुसूची–7** अनुसार अनुबंध प्रस्तुत करने हेतु प्रदायक को 15 दिवस की समय सीमा दी जावेगी। परिवहनकर्ता द्वारा नियत समय सीमा में अनुबंध प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में निगम परिवहनकर्ता द्वारा जमा की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करेगा, इसके लिये पृथक से परिवहनकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है।
3. अनुबंधित दरें दिनांक 31.3.2020 एवं आगे की अवधि तक प्रभावशील रहेगीं अर्थात् नवीन निविदा के अंतर्गत नवीन दरों के अनुबंध तक प्रभावशील रहेंगी।
4. अनुबंध होने के उपरांत परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन का कार्य किसी अन्य परिवहनकर्ता को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा। यदि परिवहनकर्ता द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है एवं निगम के संज्ञान में आती है तो निगम अनुबंध को निरस्त कर धरोहर राशि जप्त करने का अधिकारी रहेगा।

9 <u>धरोहर राशि</u>–

9.1 अनुबंध उपरांत निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि धरोहर राशि के रूप में समायोजित की जावेगी।

9.2 धरोहर राशि अनुबंध की प्रभावशीलता की अवधि में निगम के पास जमा रहेगी। अनुबंध अवधि समाप्ति पर किसी प्रकार के विवादास्पद स्थिति न होने की दशा में धरोहर राशि बिना किसी ब्याज के परिवहनकर्ता को वापस की जावेगी।

9.3 <u>धरोहर राशि निम्न परिस्थितियों में जप्त की जा सकती है</u>–

9.3.1 परिवहनकर्ता द्वारा निर्धारित अनुबंध अवधि से पूर्व कार्य बंद किये जाने की दशा में।

9.3.2 परिवहनकर्ता द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किये जाने एवं निगम द्वारा इस आधार पर उनके अनुबंध को निरस्त किये जाने की दशा में ।

9.3.3 निविदा पत्र की निर्धारित शर्तों के उल्लंघन किये जाने की दशा में।

10. <u>कार्य का स्वरूप तथा दायित्व</u> –

10.1 <u>पोषण आहार के परिवहन का कार्य तथा दायित्व</u>

1. पोषण आहार के परिवहन का कार्य पोषण आहार संयंत्र से निर्धारित जिलों को जिनका विवरण अनुसूची–6 में दिया गया है, के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालयों के नियत गोदाम तक किया जाएगा ।

2. महिला एवं बाल विकास विभाग से परियोजनावार प्राप्त आदेशानुसार सामग्री का परिवहन किया जाना होगा। सामग्री का परिवहन किसी भी मात्रा के लिये करना होगा, पूरे ट्रक लोड की अनिवार्यता नहीं रहेगी।
3. निविदाकारों का दायित्व है कि वे निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व पोषण आहार सयंत्र से भोपाल संभाग के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालयों के नियत गोदाम तक की स्थिति दूरी एवं अनलोडिंग के व्यय की जानकारी प्राप्त कर लेवें एवं स्थानीय सड़को एवं परिस्थितियों से स्वयं अवगत हो कर आश्वस्त हो लें।
4. संयंत्र से सम्बद्ध जिलों की जानकारी अनुसूची–6 पर दी गई है । जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना विकासखण्ड स्तर पर स्थित है । संयंत्र प्रभारी द्वारा परियोजनाओं की जानकारी एवं संयंत्र से परियोजना की दूरी का निर्धारण किया जाएगा तथा निर्धारित दूरी को आधार मान कर स्लेब अनुसार भुगतान किया जावेगा ।
5. अगर किसी ट्रक में एक से अधिक परियोजना के पोषण आहार की लदाई की जाना हो तो एक परियोजना के पोषण आहार की लदाई के पश्चात प्लास्टिक की शीट लगाने के उपरांत ही दूसरी परियोजना के पोषण आहार की लदाई की जायेगी । चयनित ट्रान्सपोर्टर को विशेष ध्यान रखना है कि जिन परियोजनाओं में एक ट्रक से अधिक मात्रा में पोषण आहार का प्रदाय करना है तो उस परियोजना में पहले ट्रक से प्रदाय के बाद दूसरे ट्रक से प्रदायगी में अधिक दिनों का अन्तर न हो । वर्षा से बचाव हेतु तिरपाल इत्यादि की व्यवस्था परिवहनकर्ता द्वारा की जावेगी।
6. परिवहन के कार्य में निगम के बाड़ी सयंत्र से लोडिंग–अनलोडिंग, प्रदाय स्थल तक सुरक्षित परिवहन एवं नियत गोदाम में सामग्री की अनलोडिंग सम्मिलित रहेगी।
7. सामग्री के परिवहन में रोड एक्सिडेंट, चोरी, कमी, गीला या प्रदाय न होने की दशा में निगम को होने वाली हानि का समस्त दायित्व परिवहनकर्ता का होगा। इस हेतु परिवहनकर्ता यदि उचित समझते हैं तो वे आवश्यक इश्योरेंस इत्यादि अपने स्तर से करावें। किसी भी प्रकार की हानि की वसूली का निर्धारण करने हेतु संयंत्र के प्रभारी अधिकृत रहेंगे तथा उनके द्वारा लिये गये निर्णय पर परिवहनकर्ता को आपत्ति लेने का अधिकार नहीं होगा।
8. परियोजनावार सामग्री के परिवहन की तिथियों का विवरण प्रत्येक माह संयंत्र प्रभारी द्वारा परिवहनकर्ता को उपलब्ध कराया जावेगा। परिवहनकर्ता द्वारा परियोजना में जिस दिनांक को प्रथम बार पोषण आहार का परिवहन किया है, उस दिनांक के अगले 30वें दिन के पूर्व पोषण आहार का परिवहन करना आवश्यक है। निगम/विभाग द्वारा परिवहन की तिथियों में किसी भी समय परिर्वतन किया जा सकता है जिसे परिवहनकर्ता द्वारा मान्य करना आवश्यक है ।
9. संयंत्र प्रभारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदाय किया जाना आवश्यक है। परिवहनकर्ता का दायित्व है कि वे दो दिवस पूर्व सयंत्र प्रभारी से चर्चा कर पोषण आहार की उपलब्धता एवं आवश्यक ट्रकों की व्यवस्था कर लें जिससे समय पर प्रदायगी सुनिश्चित की जा सके।
10. सामान्य परिस्थितियों में परिवहन की निर्धारित तिथि में अधिकतम 02 दिवस की छूट मान्य की जाएगी, परंतु इसका निर्धारण सयंत्र प्रभारी करेंगे तथा यह परिवहनकर्ता का अधिकार नहीं होगा कि वे सदैव 02 दिवस की देरी से

परिवहन कार्य संपन्न करें। संयंत्र प्रभारी को यह अधिकार होगा कि परिवहनकर्ता द्वारा बार–बार देरी करने पर उनको देय भुगतान से राशि रू 500.00 प्रतिदिन की दर से कटौती करें जो उस परियोजना के लिये देय परिवहन व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

11. सामग्री की लोडिंग एवं अनलोडिंग आवश्यक हम्मालों की पर्याप्त व्यवस्था एवं परिवहन के दौरान फैले स्कंध को साफ कर व्यवस्थित रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का रहेगा ।
12. पोषण आहार का प्रदाय नियत परियोजाना स्थल पर किये जाने के उपरांत विधिवत निगम के चालान पर पावती लेकर संबंधित परियोजना प्रभारी से सत्यापित करवाकर पावती संयंत्र प्रभारी को परिवहन दिनांक के तीन दिवस के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
13. परिवहनकर्ता का दायित्व है कि वे कम से कम एक व्यक्ति संयंत्र में रखें जो प्रतिदिन सयंत्र प्रभारी से सपंर्क कर आवश्यक ट्रकों की व्यवस्था निरंतर करता रहे ।

10.2 गेंहू एवं चावल के परिवहन का कार्य तथा दायित्व

1. पोषण आहार के उत्पादन के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग से गेंहू /चावल हेतु प्राप्त आवंटन के आधार पर प्रत्येक माह आवश्यक गेंहू/ चावल का क्रय निगम द्वारा म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन रायसेन से किया जाता है जिसे परिवहनकर्ता को परिवहन कर पोषण आहार संयंत्र में किया जाना है।
2. वर्तमान व्यवस्था के अनुसार संयंत्र प्रभारी द्वारा आवंटित मात्रा की राशि का डिमांड ड्राफ्ट तैयार कर परिवहनकर्ता को उपलब्ध कराया जावेगा। संयंत्र प्रभारी से ड्राफ्ट प्राप्त कर नागरिक आपूर्ति निगम के रायसेन जिला कार्यालय से रिलीज आर्डर (आर.ओ.) संयंत्र के पक्ष में जारी कराने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा।
3. आर.ओ. जारी कराये जाने के उपरांत दी गई समय सीमा में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा आवंटित गोदाम से निर्धारित समय सीमा में गेंहू/चावल का सुरक्षित परिवहन संयंत्र के गोदाम/निर्दिष्ट स्थान तक करने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा। सामग्री के परिवहन के संबंध में रोड एक्सिडेंट, चोरी, कमी या प्रदाय न होने की दशा में निगम को होने वाली हानि का समस्त दायित्व परिवहन कर्ता का होगा, इस हेतु आवश्यक है कि परिवहनकर्ता आवश्यक इश्योरेंस इत्यादि अपने स्तर से करावें। गेंहू/चावल की मात्रा कम होने अथवा परिवहन के दौरान भीग जाने से अनुपयोगी हो जाने पर उतनी मात्रा की राशि की कटौती प्रचलित बाजार दर पर परिवहनकर्ता से की जावेगी।
4. सयंत्र में प्राप्त सामग्रियों का वजन संयंत्र द्वारा निर्धारित तौल कांटे से कराया जावेगा। तौल कांटें की प्रमाणित मात्रा को ही मान्य किया जावेगा जिसे परिवहनकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाना होगा ।
5. गेंहू/चावल के परिवहन कार्य में परिवहनकर्ता का दायित्व है कि वे नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम से बोरियाँ साफ–स्वच्छ, सूखी व सही हालत में गिनवाकर प्राप्त करें/करायें व उनका वजन भी सुनिश्चित कर लें एवं छल्ली से बोरी उठा ट्रक में लदाई एवं आवश्यक तुलाई इत्यादि कर संयंत्र के गोदाम में निर्दिष्ट स्थान पर पुनः छल्ली लगवायेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि संयंत्र

प्रभारी को शत प्रतिशत गेंहू चावल प्राप्त हो। लोडिंग एवं अनलोडिंग आवश्यक हम्मालों की पर्याप्त व्यवस्था एवं परिवहन के दौरान फैले स्कंध को साफ कर व्यवस्थित रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का रहेगा ।

10.3 परिवहनकर्ता द्वारा समय पर आवश्यक मात्रा में ट्रकों की व्यवस्था नहीं करने पर संयंत्र प्रभारी द्वारा परिवहन का कार्य अपने स्तर से बाजार दर पर ट्रक लगा कर परिवहन का कार्य करने हेतु स्वतंत्र रहेगा एवं इस स्थिति में लगने वाली किसी भी अतिरिक्त राशि की वसूली परिवहनकर्ता के देयकों से की जावेगी । परिवहनकर्ता की उदासीनता/लापरवाही से यदि संयत्र का पोषण आहार कालातीत होता है/ गेंहू /चावल के रिलीज आर्डर की समय सीमा समाप्त हो जाती जिससे संयंत्र को किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी समूची राशि की वसूली परिवहनकर्ता के देयकों से की जावेगी तथा इसमें परिवहनकर्ता को आपत्ति लेने का अधिकार नहीं होगा।

10.4 परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन के कार्य हेतु नियुक्त या परिवहन कार्य हेतु लिये गये सेवक परिवहनकर्ता के होंगे इसका संयंत्र से कोई लेना–देना नहीं होगा। परिवहनकर्ता के सेवकों के संबंध में सभी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत आने वाली जिम्मेदारियों का वहन परिवहनकर्ता द्वारा किया जाना होगा ।

10.5 सामग्री की लोडिंग से ले कर अनलोडिंग के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की दशा में परिवहनकर्ता अथवा उसके सेवक/कर्मी के चोटग्रस्त होने या जनहानि होने पर परिवहनकर्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगें। किसी दुर्घटना की स्थिति में किसी भी स्तर पर यदि सक्षम न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति संबंधी आदेश/ निर्देश संयंत्र प्रभारी/निगम को दिये जाते हैं तो संयंत्र प्रभारी आवश्यक राशि की वसूली परिवहनकर्ता को देय स्वत्वों से कर सकेगा।

10.6 निविदा में कार्य की मात्रा का उल्लेख कर देने मात्र से परिवहनकर्ता को अधिकार प्राप्त नहीं होगा कि वह समूचे कार्य की मात्रा की मांग संयंत्र प्रभारी से करे। संयंत्र प्रभारी परिवहन कार्य करने हेतु एक से अधिक परिवहनकर्ता से अनुबंध करने हेतु स्वतंत्र रहेगा ।

10.7 परिवहन के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर परिवहनकर्ता का दायित्व है कि वह तत्काल कार्यवाही करते हुये दुर्घटना स्थल पर स्कंध का निरीक्षण सयंत्र प्रभारी/उनके प्रतिनिधि से करवाये एवं स्कंध सही हालत में हो, उसे गंतव्य तक सुरक्षित पंहुचाया जावें । ऐसा स्कंध जो दुर्घटना के कारण अनुपयोगी हो गया है तो उससे हुई वित्तीय हानि की राशि का प्राक्कलन संयंत्र प्रभारी द्वारा किया जा कर उसकी वसूली परिवहनकर्ता के देयकों व अन्य उपलब्ध स्त्रोतों से की जावेगी। प्राक्कलीत की गई राशि/मूल्य पर परिवहनकर्ता को आपत्ती लेने का अधिकार नहीं होगा।

11. <u>भुगतान</u>–

11.1 परिवहनकर्ता द्वारा प्रत्येक माह में परिवहन की गई सामग्री के संबंध में अनुबंधित दर अनुसार विधिवत तीन प्रतियों में देयक जिसमें GST नम्बर एवं GST की राशि का स्पष्ट उल्लेख सामग्री की पावती सहित संयंत्र प्रभारी को प्रस्तुत किये जावेगें।

11.2 परिवहनकर्ता से देयक एवं विधिवत पावती प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 15 दिवस में भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

11.3 अपूर्ण देयकों के भुगतान में विलंब का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का रहेगा, इस आधार पर परिवहन का कार्य नहीं रोका जायेगा।

11.4 किसी भी प्रकार की कटौती का निणर्य होने की दशा में परिवहनकर्ता के देयकों से आवश्यक राशि की कटौती परिवहनकर्ता के देयकों से सयंत्र प्रभारी द्वारा की जावेगी।

11.5 पोषण आहार उपलब्ध होने के बाद भी परिवहनकर्ता के विलंब के कारण समय से परियोजनाओं तक सामग्री प्रदाय न होने की स्थिती में यदि विभाग द्वारा इन्ट्रप्शन की राशि की कटौती की जाती है तो उसकी वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी जो शर्त क्रं 10.1.11 की राशि के अतिरिक्त होगी।

11.6 नागरिक आपूर्ती निगम से गेंहू/चावल सही हालत में प्राप्त होने की दशा में परिवहन के दयेकों का भुगतान नियमानुसार लगभग 15 दिवस में किया जावेगा।

11.7 गेंहू/चावल की मात्रा में कमी/भीगा होने या अन्य किसी कारण से नुकसान होने की दशा में शर्त क्रं 10.2.3 के अनुसार राशि का निर्धारण कर आवश्यक राशि की कटौती परिवहन देयकों से सयंत्र प्रभारी द्वारा की जावेगी।

12. किसी भी निविदा/प्राप्त सभी निविदाओं को पूर्णतः/अंशतः स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा । उनके द्वारा लिया गया निर्णय बंधनकारी होकर मान्य करना होगा । इस संबंध में निविदाकर्ता को कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

13. निगम के प्रबन्ध संचालक निविदा की किसी भी शर्त में आंशिक/पूर्ण परिवर्तन/ संशोधन/निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे ।

14- Force majour clause लागू रहेंगें जिसका निर्धारण करने हेतु निगम के प्रबंध संचालक अधिकृत रहेंगें।

15. विवाद की दशा में प्रकरण सर्वप्रथम संयंत्र प्रभारी को प्रस्तुत किया जायेगा । उनके द्वारा लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, को प्रस्तुत किया जायेगा जो आर्बिट्रेटर के रूप में अपना निर्णय देगें । आर्बिट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में न्याय क्षेत्र भोपाल जिले के लिये सक्षम न्यायालय होगा ।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagro_bpl@airtelmail.in

पूरक पोषण आहार/ गेंहू के परिवहन का कार्य करने हेतु घोषणा पत्र

मैं ....मेसर्स ....की ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । निगम की निविदा में उल्लेखित शर्तो के अनुसार पोषण आहार संयंत्र/संयंत्रों में पूरक पोषण आहार/ गेंहू / चावल का परिवहन का कार्य पर करने हेतु सहमत हूँ ।

एम. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे प्रस्ताव को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तो पर कार्य करने हेतु मैं/हम सहमत हैं । हम निविदा की सभी शर्तो से सहमत हैं एवं तदानुसार कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये कार्य में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन होने से संयंत्र को अथवा उसके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि एवं संयंत्र प्रभारी हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रू .... प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा निविदा की सभी नियम एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं संयंत्र का निरीक्षण कर कार्य को भलीभांति समझ लिया है। हम तदानुसार सभी शर्तो पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

गवाह

.... (हस्ताक्षर)

....
नाम एवं पता

नोट : राशि रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर मान्य ।

अनुसूची–4

निविदाकार के पास उपलब्ध ट्रकों की जानकारी

क्रं	ट्रक आरटीओ पंजीयन क्रं	क्षमता	स्वंय का / अनुबंधित	आरटीओ पंजीयन पत्र की प्रति संलग्न करें। अनुबंधित होने की स्थिती में अनुबंध की प्रति संलग्न करें
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

लोड़िग क्षमता का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

हस्ताक्षर एवं सील
परिवहनकर्ता

Annexure 5

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

FINANCIAL BID

FOR TRANSPORTATION ON PER TON PER KM BASIS

The RATE is to be quoted in the Performa given below through online (i.e., the price bid is to be uploaded through e-portal). The rates should be quoted per M.T. per K.M. for the works mentioned at Sr. No. A and 10 of Annexure 2

Name of the Bidder ....'
Address .---

SR	SLAB	RATE PER M.T. PER K.M.		
		BASIC RATE	GST	TOTAL
01	0-25 (LOCAL)			
02	26-50			
03	51-75			
04	76-100			
05	101-125			
06	126-150			
07	151-175			
08	176-200			
09	201-225			
10	226-250			
11	251-275			

Signature of Bidder with Seal

अनुसूची–6

LIST OF DISTRICT

SR	PLANT	FEEDING DISTRICT	SR	PLANT	FEEDING DISTRICT
1	DEWAS	DEWAS	5	MANDLA	MANDLA
		SHAJAPUR			CHHINDWARA
		UJJIAN			SEONI
		RATLAM			BALAGHAT
		MANDSAUR			DINDORI
		NEEMEUCH			JABALPUR
		AAGAR			NARSINGHPUR
		INDORE			ANOOPPUR
		BURHANPUR			UMRIA
2	DHAR	DHAR	6	REWA	REWA
		JHABUA			SHAHDOL
		ALIRAJPUR			SIDHI
		BARWAHA			SATNA
		KHARGON			SINGROLI
		KHANDWA	7	HOSHANGABAD	HOSHANGABAD
3	SHIVPURI	SHIVPURI			BETUL
		SHOEPUR			HARDA
		MORENA			
		BHIND			
		DATIA			
		GWALIOR			
		GUNA			
		ASHOKNAGAR			
4	SAGAR	SAGAR			
		KATNI			
		DAMOH			
		PANNA			
		CHHATARPUR			
		TIKAMGARH			

अनुसूची–7

:: अनुबंध ::

यह अनुबंध आज दिनांक .... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है जिसे आगे ''निगम'' कहा जावेगा एवं मेसर्स .... जिन्हें आगे ''परिवहनकर्ता'' कहा जावेगा, के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित कर विभिन्न स्थानों पर स्थापित संयंत्र/संयंत्रों से/पर पूरक पोषण आहार/ गेंहू/ चावल का परिवहन का कार्य करने हेतु दिनांक .... को निविदा आमंत्रित की गई थी । परिवहनकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र की सभी शर्तो को मान्य करते हुए निविदा में भाग लिया गया है । निविदा प्रपत्र की समस्त शर्ते अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक .... दिनांक .... से परिवहनकर्ता के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे :–

1. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. परिवहनकर्ता का सहमति पत्र
3. परिवहनकता द्वारा प्रस्तुत निविदा व अन्य जानकारियां ।

उक्तानुसार दस्तावेजों में उल्लेखित नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

गवाह :

1.

2.

परिवहनकर्ता

1.

2.

(राशि रू 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित)